कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरूआसागर, झाँसी।

पत्रांक : डायट / वि.बी.टी.सी. 2008 (सामान्य चयन) / / 2009–10 / दिनांक :

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. 2008 (सामान्य चयन) के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 1186/15.11.2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति जनपद झाँसी हेतु आवंटित 80 सीटों के सापेक्ष तृतीय जांच सूची के अर्ह एवं उपस्थित अभ्यर्थियों को अनन्तिम सूची में सम्मिलित करते हुये तृतीय अनन्तिम सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बंधित सूची एवं कट ऑफ मेरिट संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा है। इस जांच सूची के अभ्यर्थी website-http//jhansi.nic.in पर या www.scertup.org के home page पर बने "link of the first list for verification of original Documents" पर क्लिक करके देख सकते है। सूची से संबंधित अभ्यर्थी रुपये 10/ के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारुप पर शपथ पत्र एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र/शिक्षामित्र संबंधी प्रमाणपत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा उनके दो सेट छायाप्रति (स्वप्रमाणित) एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर और टैग के साथ निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संस्थान में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हों।

दिनांक 28.01.2010 को समस्त (पुरुष/महिला/कला/विज्ञान/शिक्षा मित्र) अभ्यर्थी।

दिनांक 29.01.2010 को समस्त वर्गों के छूटे हुये अभ्यर्थी।

तृतीय अनन्तिम सूची का कट आफ मेरिट विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्र से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनारक्षित	257.97	279.92	250.03	263.17	235.70	241.28
अनु. जाति	247.93	225.09	218.47	227.74	NA	NA
अनु. जनजाति	NILL	NA	201.80	NILL	NILL	NILL
अन्य पिछड़ा वर्ग	248.23	250.22	240.96	241.65	NA	236.04

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्र से भिन्न		शिक्षा मित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
विकलांग (5,6,7)	233.71	243.07	NILL	NILL
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (8)	272.33	238.20	NILL	NILL
भूतपूर्व सैनिक (9)	NA	214.03	NILL	NILL

- जारी की गयी तृतीय अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में अन्तिम चयन सूची नही है, तथा रिशफलिंग तथा अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गमन संस्था से सत्यापन के अधीन होगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में मूल अभिलेख जमा करने हेतु उपस्थित नही होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नही किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।
- जारी की गई तृतीय अनन्तिम चयन सूची मा. उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।

(बी. पी. पटेल)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरूआसागर, झाँसी।